CONSTITUTION AS A LIVING DOCUMENT
संविधान–एक जीवंत दस्तावेज़

- **INTRODUCTION**
- **In this chapter, you will see how the Constitution has worked in the last sixty-eight years and how India has managed to be governed by the same Constitution. After studying this chapter you will find out that:**
- **the Indian Constitution can be amended according to the needs of the time;**
- **though many such amendments have already taken place, the Constitution has remained intact and its basic premises have not changed;**

परिचय

- इस अध्याय में हम पिछले 68 वर्षों के दौरान संविधान के क्रियान्वयन और भारत की शासन प्रणाली में उसकी भूमिका पर विचार करेंगे। इस अध्याय का पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बातें जान सकेंगें–
- भारतीय संविधान को समय की आवश्कताओं के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है।
- संविधान में कई संशोधन किए जा चुके हैं परंतु इसका मूल स्वरूप नहीं बदला है।

CONSTITUTION AS A LIVING DOCUMENT
संविधान–एक जीवंत दस्तावेज़

- **the judiciary has played an important role in protecting the Constitution and also in interpreting the Constitution; and**
- **the Constitution is a document that keeps evolving and responding to changing situations.**

- संविधान की रक्षा और उसकी व्याख्या में न्यायपालिका की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।
- यह संविधान एक एसा दस्तावेज़ है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आते गए है।

CONSTITUTION AS A LIVING DOCUMENT
संविधान–एक जीवंत दस्तावेज़

- **ARE CONSTITUTIONS STATIC?**
- क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं?

CONSTITUTION AS A LIVING DOCUMENT
संविधान–एक जीवंत दस्तावेज़

One of the answers to such questions is that our Constitution accepts the necessity of modifications according to changing needs of the society. Secondly, in the actual working of the Constitution, there has been enough flexibility of interpretations. Both political practice and judicial rulings have shown maturity and flexibility in implementing the Constitution. These factors have made our Constitution a living document rather than a closed and static rulebook.

इस प्रश्न का एक उत्तर तो यह है कि हमारे संविधान में इस बात को स्वीकार करके चला गया है कि समय की ज़रूरत को देखते हुए इसके अनुकूल संविधान में संशोधन किये जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि संविधान के व्यावहारिक कामकाज में इस बात की पर्याप्त गुंजाइश रहती है कि किसी संवैधानिक बात की एक से ज्यादा व्याख्याएँ हो सकें। कहने का मतलब यह है कि हमारा संविधान लचीला है। अदालती फ़ैसले और राजनीतिक व्यवहार–बरताव दोनों ने संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता और लचीलेपन का परिचय दिया है। इन्हीं वजहों से हमारा संविधान कानूनों की एक बंद और जड किताब न बनकर एक जीवंत दस्तावेज़ के रूप में विकसित हो सका है।

CONSTITUTION AS A LIVING DOCUMENT
संविधान–एक जीवंत दस्तावेज़

HOW TO AMEND THE CONSTITUTION?

Article 368: ...

Parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure laid down in this article.

संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है?

अनुच्छेद 368 ...

संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है, पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल या हटा सकती है।

CONSTITUTION AS A LIVING DOCUMENT
संविधान–एक जीवंत दस्तावेज़

We have already seen that the makers of our Constitution wanted to strike a balance. The Constitution must be amended if so required. But it must be protected from unnecessary and frequent changes. In other words, they wanted the Constitution to be 'flexible' and at the same time 'rigid'. Flexible means open to changes and rigid means resistant to changes. A constitution that can be very easily changed or modified is often called flexible. In the case of constitutions, which are very difficult to amend, they are described as rigid. The Indian Constitution combines both these characteristics.

हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे संविधान निर्माता संविधान को एक संतुलित दस्तावेज़ बनाने के पक्षधर थे। संविधान को इतना लचीला होना ही चाहिए कि उसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव किए जा सकें। लेकिन साथ ही इसे अनावश्यक और अक्सर होने वाले बदलावों से बचाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माता संविधान को एक ही साथ 'लचीला' और 'कठोर' बनाने के पक्ष में थे। यहां लचीले का मतलब है परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि और कठोर का अर्थ है अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया। लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकें जिन संविधानों में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है एसे संविधानों को कठोर कहा जाता है। भारतीय संविधान में इन दोनों ही तत्वों का समावेश किया गया है।

CONSTITUTION AS A LIVING DOCUMENT
संविधान–एक जीवंत दस्तावेज़

Some other features were so central to the spirit of the Constitution that the Constitution makers were anxious to protect these from change. These provisions had to be made rigid. These considerations led to different ways of amending the Constitution.

हमारा संविधान एक संघीय राज्यव्यवस्था बनाने के पक्ष में था। इसलिए उसमें एसे प्रावधान किए गए थे कि राज्यों की शक्तियों को उनकी सहमति के बिना नहीं हटाया जा सकें इसके कुछ पक्ष इतने केंद्रीय महत्त्व के थे कि संविधान निर्माता उन्हें संशोधन के दायरे से बाहर रखना चाहते थे। अत: इन प्रावधानों की संशोधन प्रक्रिया को कठोर बनाना आवश्यक था। यही वजह है कि संविधान में संशोधन करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने पड़े।

CONSTITUTION AS A LIVING DOCUMENT
संविधान–एक जीवंत दस्तावेज़

How to amend the Constitution

- **Similar to ordinary law: simple majority in Parliament: as mentioned in some articles**
- **Special majority in Parliament in both Houses separately: as per article 368**
- **Special majority + Legislatures of half the states: article 368**

संविधान संशोधन की प्रक्रिया

- संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर– कतिपय अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया व के अनुसार
- संसद के दोनों सदनों में अलग–अलग विशेष बहुमत के आधार पर– अनुच्छेद 368 के अनुसार
- विशेष बहुमत + कुल राज्यों की आधी विधायिकाएँ– अनुच्छेद 368

CONSTITUTION AS A LIVING DOCUMENT
संविधान–एक जीवंत दस्तावेज़

Basic Structure And Evolution Of The Constitution

One thing that has had a long lasting effect on the evolution of the Indian Constitution is the theory of the basic structure of the Constitution. You know already that the Judiciary advanced this theory in the famous case of Kesavananda Bharati. This ruling has contributed to the evolution of the Constitution in the following ways:

संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास

भारतीय संविधान के विकास को जिस बात ने बहुत दूर तक प्रभावित किया है वह है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। आप यह बात पहले से ही जानते हैं कि इस सिद्धांत को न्यायपालिका ने केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया था। इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया:

CONSTITUTION AS A LIVING DOCUMENT
संविधान–एक जीवंत दस्तावेज़

CONSTITUTION AS A LIVING DOCUMENT

We have described our Constitution as a living document. What does that mean?

Almost like a living being, this document keeps responding to the situations and circumstances arising from time to time. Like a living being, the Constitution responds to experience.

संविधान एक जीवंत दस्तावेज़

हमने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज़ माना है। इसका क्या अर्थ है?

लगभग एक जीवित प्राणी की तरह यह दस्तावेज़ समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है। जीवंत प्राणी की तरह ही यह अनुभव से सीखता है।

CONSTITUTION AS A LIVING DOCUMENT
संविधान–एक जीवंत दस्तावेज़

1. **It has set specific limits to Parliament's power to amend the Constitution. It says that no amendment can violate the basic structure of the Constitution;**
2. **It allows Parliament to amend any and all parts of the Constitution (within this limitation); and**
3. **It places the Judiciary as the final authority in deciding if an amendment violates basic structure and what constitutes the basic structure.**

1. इस निर्णय के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमाएँ निर्धारित की गई।
2. यह संविधान के किसी या सभी भागों के संपूर्ण संशोधन (निर्धारित सीमाओं के अंदर) की अनुमति देता है।
3. संविधान की मूल संरचना या उसके बुनियादी तत्त्व का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फ़ैसला अंतिम होगा केशवानंद भारतीय मामले में यह बात स्पष्ट हो गई।

CONSTITUTION AS A LIVING DOCUMENT
संविधान–एक जीवंत दस्तावेज़

Even after so many changes in the society, the Constitution continues to work effectively because of this ability to be dynamic, to be open to interpretations and the ability to respond to the changing situation. This is a hallmark of a democratic constitution. In a democracy,

समाज में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी हमारा संविधान अपनी गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलेपन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता की विशेषताओं के कारण प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है। यही लोकतांत्रिक संविधान का असली मानदंड है।